

FORM NO.3

फर्म अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत..... एसडीआर..... मुकाम..... रायवाड.....  
 किरम मुकदमा..... 18.5.17 R.512..... 31..... 17


<p>3-5-17</p>	<p>पत्रावली नं. 18.5.17 को नं. 31 को फर्म अहकाम              देखाई गई अहकाम नं. 18.5.17 को नं. 31 को फर्म अहकाम              है, जिसका दिनांक 12-5-17 है।</p> <p>47 50000000</p> <p>R-512 राजस्थान लोक न्यायिक              आयोग द्वारा अधिसूचना 7317 को जारी              राजस्थान कोष में राजस्व प्राप्त हेतु दि. 22-6-17              तारी. रायवाड की सेवा को। 47              अधिसूचना अधिकारी              सावाड़</p>
<p>22-6-17</p>	<p>पत्रावली नं. 18.5.17 को नं. 31 को फर्म अहकाम              देखाई गई अहकाम नं. 18.5.17 को नं. 31 को फर्म अहकाम              है, जिसका दिनांक 12-5-17 है।</p> <p>47 50000000</p> <p>R-512 राजस्थान लोक न्यायिक              आयोग द्वारा अधिसूचना 7317 को जारी              राजस्थान कोष में राजस्व प्राप्त हेतु दि. 22-6-17              तारी. रायवाड की सेवा को। 47              अधिसूचना अधिकारी              सावाड़</p>


मोहर  
 दस्तावेज

नादवाणीत भारती खतरा नं. 490 तक्रबा 03-14-00 वीवा नं. 03  
 पोखर पुत्र बांध जाट ही खातेदारी में हैं. इस भारती में  
 ग्राम वैधानिक द्वारा कार्य सम्भरेगा के लहत लही क्राया  
 जा रहा है तथा वादी की कर्पना स्वीकार पर स्थायी  
 विवेचना से सौंवे के लिए पाबन्ध किये जाये से प्रतीवादी  
 सं. 1 से 4 के कोरें भाषाई नही हैं। अतः वादी का नाद स्वीकार  
 किया जाता है। प्रतिवादीगण न उनके लोकर चाकर, माहल  
 अधिगरी बनदुर आदि को जरिसे स्थायी निबेधारा सकेन के  
 लिए वादी के नादवाणीत खातेदारी खेत रुखे माहल की कृषि  
 भूमि नं. 490 में किसी प्रकार की बाधा डालने, नष्ट-भूषट  
 करने उस पर बाधा डालने, अथैध निबाण करने अथैध रूप से  
 किसी प्रकार स्वयं बनाने इत्यादि से पाबन्ध किया जाता है।  
 इस आराय की अंतिम सिद्धि जारी है. अर्चा फरिस्त अपना  
 अपना बहन करो।

निर्णय बरल सेवा केन्द्र शेरगा. न्याय आफके द्वार  
 अधिवान 2017 में मजसे आय में सुनाया गया।

  
**लोक अदालत सिविल  
 सरवाइ (अजमेर)**

  
**लोक अदालत सिविल  
 सरवाइ (अजमेर)**

  
**लोक अदालत सिविल  
 सरवाइ (अजमेर)**